



UPLK010110242023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ।अंतिम आख्या संख्या 508/2023

संतोष कुमार रावत

बनाम

सुनील कुमार रावत आदि

मु0अ0सं0-612/2023

धारा:147,148,452,323,504 भा0दं0सं0

धारा 3(1)द, ध एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, जिला-लखनऊ।

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। कोई पुकार पर उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मु0अ0सं0 612/2023 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी में विवेचक द्वारा इस आधार पर एफ0आर प्रेषित कर दी गयी है कि तमाम विवेचना के उपरान्त विपक्षीगण के विरुद्ध वादी मुकदमा द्वारा कोई पुष्टि कारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। विवेचना के प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट हो रहा है कि विवेचक द्वारा बिना इसमें एस0सी0/एस0टी0 रूल्स, 1995 का पालन किये हुए स्वेच्छया चारिता से विवेचना की गयी है। दौरान विचारण कई मामलों में यह पाया जाता है कि वादी जो कमजोर, आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि के होते हैं, उनके द्वारा समाज में मजबूत आर्थिक एवं मजबूत सामाजिक पृष्ठभूमि के सवर्णों एवं पिछड़ी जातियों के अपराधियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करवाया जाना ही कठिन कार्य होता है तथा उसके बाद विवेचना को भी ऐसे तत्वों द्वारा प्रभावित किया जाता है, क्योंकि थाने एवं सरकारी विभागों में अधिकांश कर्मचारी भी गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्गों से आते हैं, जो ऐसे अपराधियों से जातीय आधार पर सहानुभूति रखते हैं। आरोप पत्र आ जाने के बाद भी वादी मुकदमा एवं साक्षियों पर दबाव बनाया जाता है, जिससे किसी तरह दोषमुक्ति हो सके। ऐसा होने पर समाज के सामने एक गलत संदेश जाता है कि एस0सी0/एस0टी0 के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी कारण 15ए(10) एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट 1989 में संशोधन अधिनियम 2016 प्रभावी दिनांकित 26.01.2016 से यह प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग होगी। इस प्रावधान के अनुसार विवेचना करना आवश्यक है, लेकिन विवेचकों द्वारा बी0एन0एस0 के सामान्य अपराधों की तरह ही अनुसूचित जाति/जनजाति के विरुद्ध होने वाले अतयाचार से संबंधित अपराधों की विवेचना की जा रही है, जो उचित नहीं है। विधि की मनमानी व्याख्या नहीं जा सकती है तथा जब विधि के प्रावधान संसद द्वारा स्पष्ट किये गये हैं तो विवेचक को स्वच्छन्द नहीं छोड़ा जा सकता, एवं उन प्रावधानों का कठोरता से पालन कराने का दायित्व विशेष न्यायालय पर है। पत्रावली में बलरामपुर अस्पताल का वादिनी की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी की मेडिकल रिपोर्ट संलग्न है, जिसमें उसके शरीर पर तीन चोटें पायी गयी हैं, परंतु विवेचक द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसी देशा में निम्न आदेश किया जाता है:-

आदेश

मु0अ0सं0 612/2023 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी में विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट में विवेचक के द्वारा प्रेषित की गयी रिपोर्ट अंतर्गत धारा 193 बी0एन0एस0एस0 अग्रिम

2)

विवेचना हेतु विवेचक को इस निर्देश के साथ वापस की जाती है कि बी०एन०एस०/एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट/रूल्स, 1995 के तहत सही धाराओं के तहत विवेचना करें। एफ०आई०आर० दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, परंतु वादिनी को फिर से उसकी तहरीर पढ़कर सुनाकर उसकी वीडियो रिकार्डिंग की जाये एवं हर साक्षियों का बयान की वीडियो रिकार्डिंग करते हुए पुनः रिपोर्ट अंतर्गत धारा 193 बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत करें। 193 बी०एन०एस०एस० की रिपोर्ट में सभी साक्षियों के स्थाई/अस्थायी पते व मोबाइल नंबरों का अवश्य उल्लेख किया जाये। यदि विवेचक के द्वारा पाया जाता है कि वादी मुकदमा द्वारा झूठा मुकदमा लिखाया गया है तो उसके विरुद्ध 182 भा०दं०सं०/217 बी०एन०एस० की रिपोर्ट अवश्य प्रेषित की जाये। शपथ पत्र का कदापि प्रयोग न किया जाये। सम्पूर्ण विवेचना प्रपत्र जरिए पैरोकार विवेचक को वापस किये जाये।

दिनांक: 24-02-2024

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट,
लखनऊ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 6127